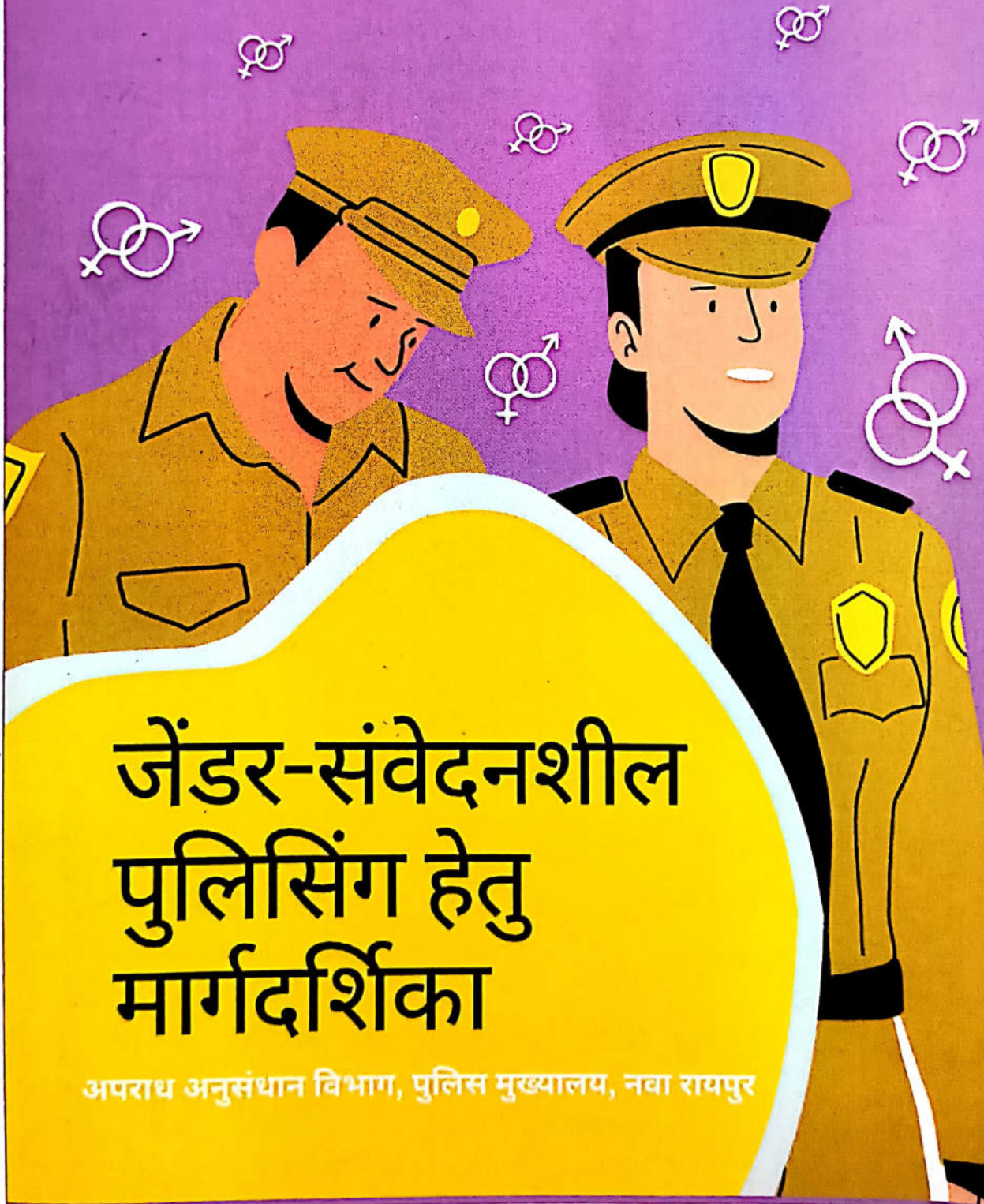




जेंडर-संवेदनशील पुलिसिंग हेतु मार्गदर्शिका

अपराध अनुसंधान विभाग, पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर



"अभिव्यक्ति ऐप" राज्य में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु पुलिस विभाग द्वारा यह ऐप विकसित किया गया है। जिसमें निम्नलिखित सुविधायें उपलब्ध होंगी -



आपातकालीन स्थिति में महिलाओं एवं बालिकाओं द्वारा SOS बटन का उपयोग करने पर उन्हें त्वरित पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराना।



पीड़िता को किसी भी स्थान से शिकायत दर्ज कराने की सुविधा प्रदान कराना।



महिलाओं के कानूनी अधिकारों पर आधारित सुरक्षा टिप्स।

"अभिव्यक्ति" ऐप को गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर अथवा नीचे दिये गये क्यू आर कोड को स्कैन कर डाउनलोड किया जा सकता है।



iPhone



Android

पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़



जेंडर-संवेदनशील पुलिसिंग हेतु मार्गदर्शिका

लिंग आधारित हिंसा क्या है ?

लिंग आधारित हिंसा, जिसे अक्सर महिलाओं और लड़कियों के प्रति हिंसा के रूप में जाना जाता है, एक प्रकार का नफरत से प्रेरित अपराध है, जो जाति, धर्म, यौन अभिविन्यास आदि विभिन्न संबंधित बातों के आधार पर भेदभाव से प्रेरित होता है। लिंग आधारित हिंसा के मामले में पीड़ितों को उनके लिंग के आधार पर निशाना बनाया जाता है।

लिंग आधारित हिंसा में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं, लेकिन ध्यान दें, यह इन्हीं तक सीमित नहीं है:

- परिवार में होने वाली हिंसा
- समुदाय के भीतर होने वाली हिंसा
- सशस्त्र संघर्ष की स्थितियों महिलाओं के मानवाधिकारों का उल्लंघन
- आर्थिक और सामाजिक हिंसा/भेदभाव

अतः लिंग आधारित हिंसा भारतीय संविधान में आश्वस्त गरिमा, अनुकूलतम विकास और भेदभाव से मुक्त जीवन के अधिकार का उल्लंघन है।



लिंग आधारित हिंसा के परिणाम

इस तरह की हिंसा के परिणाम गंभीर और लंबे समय तक चलने वाले होते हैं। लिंग आधारित हिंसा का प्रभाव महिलाओं और लड़कियों द्वारा असमान रूप से महसूस किया जाता है, हालांकि समलैंगिक व्यक्ति या वह लोग समाज में स्थापित लिंग और यौन आदर्शों का पालन नहीं करते हैं, वे भी लिंग आधारित हिंसा से अधिक प्रभावित होते हैं। ऐसे विचार और प्रथाएं जो लिंग आधारित हिंसा को बढ़ावा देते हैं, उन्हें जारी रखने से, लंबे समय तक और काफी पीढ़ियों पर इस प्रकार की हिंसा के दुष्प्रभाव चलते रहते हैं।

क्या आप सोच सकते हैं की लिंग आधारित हिंसा के क्या परिणाम हो सकते हैं ?

- शारीरिक स्वास्थ्य पर
- मानसिक स्वास्थ्य पर
- उनके सामाजिक जीवन पर
- उनके पारिवारिक जीवन पर लंबे समय तक



लिंग आधारित हिंसा के लिए कानूनी प्रावधान

1

जीवन के चरण: जन्म से पूर्व

हिंसा का प्रकार

गर्भावस्था के दौरान गर्भपात कारित करना (जैसे मारपीट, ज़हर देना, इत्यादि)

चिकित्सकिय लापरवाही से हुई मृत्यु (गर्भवती महिलाओं को चिकित्सा सुविधा से वंचित करना)

लिंग-चयनात्मक गर्भपात (जैसे कन्या भ्रूण हत्या)

कानूनी प्रावधान

Section 312-316, Indian Penal Code (IPC)

Section 304A, IPC

Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques (PCPNDT) Act, 1994



2 जीवन के चरण: बचपन/शैशवावस्था

हिंसा का प्रकार	कानूनी प्रावधान
बच्चों के प्रति क्रूरता (बालिकाओं को भोजन और चिकित्सा देखभाल तक पहुंच से वंचित करना, कुपोषण से मृत्यु))	Section 75, Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (JJ Act, 2015)
बालिकाओं का भावनात्मक, शारीरिक, यौन शोषण	Section(s) 5, 7, 9, 11, 13, Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012
कन्या भ्रूण हत्या	Section 315, IPC
तस्करी	Section 370, IPC

3 जीवन के चरण: बचपन/किशोरावस्था

हिंसा का प्रकार	कानूनी प्रावधान
बाल विवाह	Prohibition of Child Marriage Act, 2006 (PCMA, 2006)
व्यावसायिक यौन शोषण	ITPA 1956; and POCSO Act, 2012

3

जीवन के चरण: बचपन/किशोरावस्था

हिंसा का प्रकार

कानूनी प्रावधान

बच्चों के प्रति क्रूरता (बालिकाओं को भोजन, शिक्षा और चिकित्सा देखभाल तक पहुंच से वंचित करना, कुपोषण से मृत्यु)

Section 75, JJ Act, 2015

एसिड फेंकना या फेंकने का प्रयत्न करना

Section 326A, 326B IPC

पोर्नोग्राफी में बच्चों का उपयोग करना व अश्लील सामग्री का भंडारण

Section 14, 15, POCSO Act, 2012; Section 67B, Information Technology Act, 2000

यौन शोषण

Section(s) 3-14, POCSO Act, 2012

तस्करी और तस्करी के पश्चात यौन शोषण

Section 370, 370A IPC; ITPA, 1956

यौन उत्पीड़न/छेड़-छाड़

Section 354A, IPC; Section 11, POCSO Act, 2012

4

जीवन के चरण: प्रजनन/वयस्क अवधि

हिंसा का प्रकार

कानूनी प्रावधान

एसिड फेंकना या फेंकने का प्रयत्न करना

Section 326(A), 326(B), IPC

दहेज प्रताड़ना और हत्याएं

Section 304B, 498(A) IPC;
Dowry Prohibition Act, 1961

बलात्कार

Section 376, IPC

ज़बरन विवाह

Section 366, IPC

व्यावसायिक यौन शोषण

ITPA, 1956

हत्या/गैर-इरादतन हत्या (ऑनर किलिंग और हानिकारक पारंपरिक प्रथाओं के अन्य रूप)

Section 299-304, IPC

कार्यस्थल पर यौन शोषण

Sexual Harassment of Women
at Workplace (Prevention,
Prohibition and Redressal)
Act, 2013

यौन उत्पीड़न, पीछा करना, ताक-झांक करना

Section 354, IPC



4

जीवन के चरण: प्रजनन/वयस्क अवधि

हिंसा का प्रकार

पति या पार्टनर द्वारा महिलाओं का समस्त प्रकार से शोषण

टोनही कहकर प्रताड़ित करना

कानूनी प्रावधान

Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 (DV Act, 2005); IPC

Chhattisgarh Witchcraft Atrocities (Prevention) Act, 2005

5

जीवन के चरण: वृद्धावस्था

हिंसा का प्रकार

विधवाओं और वृद्ध महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार

आश्रय या भोजन से वंचित करना

कानूनी प्रावधान

IPC; Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007

Section 24, Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007



6 जीवन के चरण: समलैंगिक और ट्रांस व्यक्ति

हिंसा का प्रकार

कानूनी प्रावधान

शारीरिक और आर्थिक शोषण

Section 18(d), Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019

यौन शोषण, 'सुधारात्मक बलात्कार'

Section 18(d), Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019; Section 375, 376; Indian Penal Code

जबरन बेघर करना

Section 18(c), Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019

बंधुआ मजदूरी

Section 18(a), Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019

सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश में भेदभाव

Section 3, 18(b), Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019

पुलिस की भूमिका

पुलिस का कर्तव्य होता है:

- महिलाओं के खिलाफ हिंसा की सभी कथित घटनाओं की प्रभावी जांच करना;
- सभी जांचों को ऐसे तरीके से संचालित करना जो पीड़ित द्वारा अनुभव किए गए पीड़ा को कम करते हुए पीड़ित महिला के अधिकारों और जरूरतों का सम्मान करें;
- पीड़ित की सहायता और सुरक्षा के लिए कार्रवाई करना;
- अपराध को रोकने, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और कानूनों को लागू करने के लिए समुचित प्रयत्न करना।



पहली प्रतिक्रिया - जब महिलाओं के प्रति हिंसा की सूचना मिले

- पीड़ित को तुरंत अपराधी से अलग कर सुनिश्चित करें की सारे पक्ष एक-दूसरे की दृष्टि और सुनवाई से बाहर हों और पीड़ित सुरक्षित हो।
- किसी भी घायल व्यक्ति के इलाज की व्यवस्था करें।
- आवश्यकतानुसार अन्य संबंधित अधिकारियों को बुलाएं।
- क्या हुआ है और अपराध की पहचान करने के प्रारंभिक तथ्यों का पता लगाएं।
- अपराध के सभी संभावित सबूतों की पहचान करें और एकत्र करना शुरू करें।
- पीड़ित का प्रारंभिक बयान दर्ज करें (औपचारिक लिखित बयान बाद में हो सकता है)।
- सभी गवाहों का कथन दर्ज करें और आवश्यकतानुसार लिखित बयान एकत्र करें।
- किसी भी आवश्यक अनुवर्ती/द्वितीयक जांच (जैसे फॉरेंसिक, चिकित्सा परीक्षा) की व्यवस्था करें।
- पीड़ित की देखभाल और सहायता के लिए पीड़ित सेवाओं (यदि उपलब्ध हो) से संपर्क करवाएं।
- औपचारिक रिपोर्ट में जांच, सबूत और बयान दर्ज करें।

लिंग आधारित हिंसा की महिला शिकायतकर्ता/पीड़ित से बातचीत करने या कथन लेने के लिए चेकलिस्ट

पीड़ितों से बातचीत करने या कथन लेने के लिए विशिष्ट योजना का पालन करें, जैसे कि:

उपयुक्त स्थान चुनें

- स्थिति के आधार पर, पीड़ितों और गवाहों का पुलिस थाने के बजाय उनके घर या जहाँ वे सुरक्षित महसूस करते हैं वहाँ कथन लेने पर वे अधिक जानकारी के साथ आगे आ सकते हैं। उनसे पूछें कि वह बयान देने के लिए कहाँ सबसे सहज महसूस करती हैं।

निर्धारित करें कि और कौन उपस्थित होंगे

- आदर्श रूप से, एक अनुभवी और प्रशिक्षित पुलिस अधिकारी पीड़ित का कथन लेंगे। पीड़ित का समर्थन करने वाला व्यक्ति वहाँ उपस्थिति हो सकते हैं। पीड़ितों का कथन कभी भी हमलावर की उपस्थिति में या पूछताछ के लिए बनाए गए पुलिस कक्ष में नहीं किया जाना चाहिए।
- तय करें कि साक्षात्कार/जांच को ऑडियो-वीडियो रिकॉर्ड करने की आवश्यकता है या नहीं
- गोपनीयता का ध्यान रखें - थाने में सबके सामने पूछताछ न किया जाए।

जांच से पहले पूछे जाने वाले सवालों को तय करें

परिचय

- उन्हें अपने नाम से अपना परिचय दें और बताएं कि आपकी जांच में भूमिका क्या है।
- पूरी प्रक्रिया के बारे में बताएं कि जांच कैसे होगी, और उन्हें प्रश्न पूछने के लिए पूरी छूट दें। यह पीड़ित में आपके प्रति विश्वास बनाता है

जांच के नियम

➤ महिला को सहज करने में मदद करने के लिए कुछ ऐसे शब्दों का उपयोग करें जिससे उनका आप पर विश्वास बढ़े, जैसे:

- "मैं यहाँ मदद करने के लिए हूँ।"
- "अगर मैं आपके द्वारा कही गई किसी बात को गलत समझता हूँ, तो कृपया मुझे बताएं। मैं आपको सही तरीके से समझना चाहता हूँ।"
- "अगर आप मेरी कही हुई कोई बात नहीं समझते हैं, तो कृपया मुझे बताएं, मैं फिर से कोशिश करूंगा।"
- "अगर आप किसी भी समय असहज महसूस करते हैं, तो कृपया मुझे बताएं या मुझे 'स्टॉप साइन' दिखाएं (एक हाथ ऊपर, हथेली दूसरे व्यक्ति को दिखते हुए)।"

- "कृपया याद रखें कि मैं आपसे परेशान नहीं होऊंगा।"

▶ स्वतंत्र रूप से बात करना (free narrative)- यह जांच/साक्षात्कार का सबसे विस्तृत और महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है, जहां पीड़ित सबसे अधिक जानकारी प्रकट करते हैं।

- पीड़ित से कहें कि वह अपने शब्दों में बताए कि उन्होंने क्या अनुभव किया, देखा और सुना। उन्हें मौखिक रूप से संभवतः ज्यादा विस्तार से घटना की परिस्थितियों को दोबारा बताना चाहिए, जैसे "मैं चाहता हूं कि आप मुझे वह सब कुछ बताएं जो आपको याद है कि क्या हुआ था, शुरू से शुरू करते हुए।"
- उन्हें बीच में न काटे।
- अगर पीड़ित रुक जाती हैं, तो पूछें "आगे क्या हुआ?" या, "आप कह रहे थे कि [आखिरी बात जो कही थी]"।
- सुने, धैर्य रखें, और विस्तृत नोट लेते रहें।
- याद रखें कि हिंसा या दुर्व्यवहार के शिकार लोगों के लिए उसके बारे में बात करना आसान नहीं होता है, हो सकता है कि अपराधी द्वारा उन्हें नुकसान पहुँचाने या जान से मारने की धमकी दी गई हो।
- साथ ही मानसिक आघात की वजह से सारी घटनाएँ ठीक से याद नहीं होती हैं, और यह उनकी गलती नहीं है अगर उन्हें कुछ याद नहीं है।

➡ खुले हुए प्रश्न (open-ended questions) - ऐसे प्रश्न व्यक्ति को सूचना के प्रवाह को नियंत्रित करने की अनुमति देते हैं।

- यहाँ, जांचकर्ता विशिष्ट खुले प्रश्न पूछता है (जिनका उत्तर "हाँ" या "नहीं" में नहीं दिया जा सकता है)। उदाहरण के लिए: "मुझे इसके बारे में बताएं...", "आगे क्या हुआ?", "और फिर आपने क्या देखा?", "आपको क्या याद है।", "और फिर क्या हुआ?", "आपने और क्या देखा?"
- किसी भी भ्रम से बचने के लिए, और सर्वोत्तम संभव स्मरण पाने के लिए, जांचकर्ता को एक समय में केवल एक ही प्रश्न पूछना चाहिए।

➡ विशिष्ट प्रश्न

- इस चरण का उद्देश्य पिछले उत्तरों को स्पष्ट करना और विस्तारित करना है।
- यहां, जांचकर्ता प्रत्यक्ष, बंद प्रश्न (close ended) पूछता है, अनुपलब्ध जानकारी निकालने या मुख्य बिंदुओं को स्पष्ट करने के लिए। सुनिश्चित करें कि कौन, क्या, कहाँ, कब, कैसे और क्यों के प्रमुख बिंदु शामिल हैं।
- बहुविकल्पीय प्रश्नों से बचें, लेकिन यदि आवश्यक हो, तो प्रश्न को दो संभावित उत्तरों तक सीमित रखें। बाद में, प्रश्न को दोहराएं लेकिन कोई अलग तरीके से।
- यदि पीड़ित के बयान में विसंगतियां हैं, तो उन्हें जांच/साक्षात्कार के अंत में संबोधित किया जाना चाहिए।

सुरक्षा योजना / कार्य योजना

- हिंसा का अनुभव करने वाली महिला के साथ प्रत्येक जांच/साक्षात्कार में व्यक्तिगत सुरक्षा योजना की चर्चा शामिल की जानी चाहिए। सुरक्षा योजना (जिसमें शारीरिक और मनोवैज्ञानिक सुरक्षा शामिल है), पुलिस जांच/साक्षात्कार के इस चरण का उपयोग महिला को अतिरिक्त सेवाओं/सहायता, जैसे स्वास्थ्य देखभाल, परामर्श, विधिक सहायता, या किसी प्रकार की सामाजिक सहायता के लिए कर सकती है।

निष्कर्ष

- जांच/साक्षात्कार के समापन पर, जब जांचकर्ता का मानना है कि उन्होंने सभी संभव जानकारी प्राप्त कर ली हैं, तो उन्हें ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जैसे "क्या इस घटना के बारे में कुछ और है जो आपको लगता है कि मुझे पता होना चाहिए?" या, "आप और क्या जानते हैं जिसके बारे में नहीं पूछा गया?"
- पूछें कि क्या पीड़ित के कोई प्रश्न हैं। यदि हां, तो उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार उत्तर दें।
- समझाएं कि आगे क्या होगा, लेकिन कोई वादा न करें।
- महिला को उनकी सहायता और सहयोग के लिए धन्यवाद करें

यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि महिला पीड़ित है, संदिग्ध नहीं है, और इसलिए उन तरीकों के अधीन नहीं है जिन्हें पुलिस पूछताछ में इस्तेमाल कर सकती है।

क्या करें और क्या न करें

क्या करें

- उन पर विश्वास करें, उनका सम्मान करें और समर्थन करें; उनकी बातों को सुनें और उन्हें गंभीरता से लें
- उनकी तत्काल सुरक्षा का आकलन करें और यदि आवश्यक हो तो चिकित्सकीय सहायता प्रदान करें
- समर्थन और रेफरल करें: महिलाओं को काउंसलिंग, कानूनी सहायता और सामुदायिक संसाधनों जैसी सेवाओं के लिए रेफरल प्रदान करें, और उन तक पहुँचने के लाभ और संभावित परिणाम के बारे में बताएं।
- उन्हें आश्चस्त करें कि हिंसक घटना में उनकी कोई गलती नहीं है। साथ ही रिपोर्ट करने के लिए आगे आने में उनकी ताकत को सराहना दें।

क्या न करें

- उन्हें दोष न दें या ऐसी भाषा का प्रयोग न करें जो उनके दुर्व्यवहार के अनुभव को कम करती हो या खारिज करती हो। उदाहरण के लिए, यह कहना कि "दुसरे लोगों के साथ तो आपसे भी बदतर व्यवहार होता है", या "आप हमेशा शिकायत करने आते हैं लेकिन फिर उसी घर में वापस चले जाते हैं" यह मदद लेने में बाधा बन सकता है।
- उन्हें यह न बताएं कि उन्हें क्या करना चाहिए, या उनकी ओर से निर्णय न लें, कोई विशेष कार्रवाई करने के लिए दबाव न डालें। साथ ही उन पर अपनी कहानी बताने के लिए भी दबाव न डालें।
- पैसे या एहसान माँगकर एक सहायक के रूप में अपनी स्थिति का फायदा न उठाएँ।

क्या करें और क्या न करें

क्या करें

- क्या कहना और क्या करना है, इस पर निर्णय लेने की अनुमति देकर व्यक्ति को अपने जीवन में नियंत्रण रखने दें, उन्हें हर चीज में विकल्प प्रदान करें।
- उन्हें समर्थन दें की भले ही वे अभी मदद से इनकार करते हैं, फिर भी वे भविष्य में मदद प्राप्त कर सकते हैं।
- निजता/गोपनीयता का सम्मान करें और उनके कथन को गोपनीय रखें। कोशिश करें कि बातचीत किसी निजी जगह पर हो।

क्या न करें

- उनसे जल्दी निर्णय लेने की अपेक्षा न करें।
- अवास्तविक वादे न करें और झूठी सूचना न दें।
- उन्हें काउंसलिंग या सलाह न दें। उदाहरण के लिए, उनसे गहराई से यह देखने के लिए न कहें कि वे कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि यह ऐसा कार्य है जिसे मनोसामाजिक देखभाल में प्रशिक्षित पेशेवर द्वारा ही किया जाना चाहिए।
- हिंसा की घटना की उनकी कहानी को साबित करने के लिए सबूत या प्रमाण न मांगें।

कहाँ रेफर कर सकते हैं





राज्य में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग द्वारा यह ऐप विकसित किया गया है।

"आप मन के सुरक्षा, आप मन के हाथ, छ.ग. पुलिस आप मन के साथ"



Android



IOS



✉ abhivyakticid@gmail.com



cgpolice.gov.in

@Abhivyakti75185



"अभिव्यक्ति" ऐप को गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर अथवा नीचे दिये गये
क्यू आर कोड को स्कैन कर डाउनलोड किया जा सकता है।



iPhone



Android

**अपराध अनुसंधान विभाग, पुलिस मुख्यालय,
नवा रायपुर**